

Correction Slip No.4 to the WCR/Accident Manual 2004
Existing at page No.223 Replace Appendix -xxiv format for reporting of accidents to Head Quarter
and Railway Board at read as under :-
 [Rly. Board's letter No. 2000/Safety(A&R)/3/5 Dated 14-03-2006]

Category of Accident		Class of Accident		
1	Date and time of accident			
2	Division			
3	Section			
4	Block Section			
5	At Station / Mid Section			
6	Gauge (BG / MG / NG)			
7	Traction(Elect. / Non Elec.)			
8	Type of Route			
9	System of working			
10	Class of Station. Type of signalling. Standard of interlocking			
11	Train Particulars	Train No.-	Engine No.-	Load -
12	Brief Particulars			
13	Train working condition (Normal / Abnormal) (in Brief)			
14	Procedural Failure, if any (in brief)			
15	Casualty	Killed		
		Grievously Injured		
		Simple Injured		
16	Relief Arrangements	ARME / Orderd at... hrs. Left at ... hrs., at site ...hrs.		
		ART / Orderd athrs Left at hrs., at site....hrs.		
		Crane / Orderd at Hrs Left at hrs., at site .. hrs.		
17	Officers visiting site			
18	Restoration	Rerailment completed at	hrs./date,	
		Track fit at	hrs./date,	
		OHE fit at	hrs. / date,	
		S& T fit at	hrs. / date	
19	Time of first train passed on the affected line / lines			
20	Prima Facie cause			
21	Gate Particulars	(Annexure - A)		
22	Driver Particulars	(Annexure - A)		
23	State / District			
24	Other Information, if any			

Gate particulars (Manned / Unmanned)			
Traffic / Engineering gate =	Class =	Gate No =	Kms =
Lifting Barrier	/ Flap	/ Chain =	
TVU =	Year =		
Interlocked	or	Non Interlocked =	
Telephone provided	or /not provided =		
Normal position of gate	open to Road traffic =	Closed to Road Traffic =	
Road Signs =	Speed Breaker =	whistle Board =	
Type of Road =	Pucca =	Kuchha =	
Visibility (in meters) =			
Gradient if any =			
No of accidents during last two years =			
Driver's Particulars			
Name			
Date of Birth			
Family members			
Qualification			
Head Quarter			
Grade	Pay =		
Breathalyser test (Positive= intoxication) (Negative= without toxication)	At the time of signing on =	After accident=	
Date of Appointment	As -		
Promoted as Asst Driver			
Promoted as Goods Driver			
Promoted as Pass. Driver			
Promoted as Mail / Exp.			
Date of Medical Examination	Passed	Next Due	
With or without glasses			
Date of Refresher	Passed	Next Due	
Safety Camp	Passed	Next Due	
Competency	Automatic Section		
	Ghat Section		
Safety category Grading			
Psycho Test			
Awards / punishment			
Nominated Loco inspector			
Signing on / off			
Rest availed before duty			
Last trip on the section			
Previous history of accident if any			

(Officer reporting the accident)

* Existing at page No.86 & 91 Replace Appendix –I Detailed Classification of accidents

'B' and 'N' read as under :-

[Rly. Board's letter No. 2006/Safety(A&R)/3/6 Dated 29-11-2006]

	Amended provision
Class 'B'	Fire in trains
B- 1	Fire in a train carrying passengers resulting in (i) loss of human life and/or grievous hurt and/or (ii) damage to Railway property of the value exceeding Rs 25,00,000 and/or (iii) interruption of any important through line of communication for at least 24 hours.
B- 2	Fire in a train NOT carrying passengers resulting in (i) loss of human life and/or grievous hurt and/or (ii) damage to Railway property of the value exceeding Rs. 25,00,000 and/or (iii) interruption of any important through line of communication for at least 24 hours.
B- 3	Fire in a train carrying passengers <u>not</u> falling under B-1 above but (i) loss to Railway property is Rs. 50,000 or above and/or (ii) interruption to traffic is more than the threshold value and/or (iii) resulting into detachment of coaching stock/stocks from the train.
B- 4	Fire in a train NOT carrying passengers and not falling under B-2 above but (i) loss to Railway property is Rs. 50,000 or above and/or (ii) interruption to traffic is more than the threshold value and/or (iii) resulting into detachment of goods stock/stocks from the train.
B- 5	Fire in a train carrying passengers <u>not</u> falling under B-1 or B-3 above.
B- 6	Fire in a train NOT carrying passengers and <u>not</u> falling under B-2 or B-4 above.
B- 7	Fire occurring in shunting, marshalling yards, loco yards and siding etc. involving rolling stock but <u>not</u> involving a train.
	NOTE: In case of an inquiry by a committee into a fire accident in Railway premises or in a train leading to damage to Railway property and/or booked consignments, a representative of the Railway protection Force should also be included as a member of the committee.
Class 'N'	Train wrecking or sabotage to a train.
N-1	Attempted wrecking of or Bomb Blast or Explosion or Hijacking or sabotage to a train carrying passengers with or without loss of human life and/or grievous hurt and/or damage to Railway property.
N-2	Attempted wrecking of or Bomb Blast or Explosion or Hijacking or sabotage to a train NOT carrying passengers with or without loss of human life and/or grievous hurt and/or damage to Railway property.
N-3	Attempted wrecking of or Bomb Blast or Explosion or sabotage to signalling and track or forceful confinement of train running staff on duty and/or passengers but not involving a train.


* for those printed books the above is 'missing, to add and read.

**Accident Manual existing at page No225,Appendix –xxvi Classification of routes on West
Central Railway at read as under :-**

[Rly. Board's letter No. 2004/CE-II/CS/1 Dated 17-05-05]

Jabalpur Division		
SN	Section	Route
1	Itarsi – Allahabad	B
2	Bina – New Katni	D SPL
3	New Katni – Singrauli	E
4	Satna – Rewa	E
Kota Division		
1	Nagda – Kota	A
2	Kota – Mathura	A
3	Kota – RTA	D
4	Kota – COR	D
Bhopal Division		
1	Khandwa – Itarsi	B
2	Itarsi – Bina	A
3	Bina –Guna	E
4	Guna – RTA	D
5	RTA - MKC	E
6	Guna –Gwalior	E

Dated: May 09


(K. L. Pandey) 17/05/09
 COM/WCR/JBP.

पश्चिम मध्य रेल की दुर्घटना नियमावली - 2004 की शुद्धि पर्वी सं. - 04
परिशिष्ट-xxiv पृष्ठ क. 218 "में रेलवे बोर्ड एवं मुख्यालय को दुर्घटना की रिपोर्ट"
करने का प्रारूप में परिवर्तन किया गया है, जिसे निम्न प्रकार संशोधित करें'
रेलवे बोर्ड पत्र क. 2000/संरक्षा (ए एण्ड आर)/3/5 दिनांक 14.03.2006)

दुर्घटना की श्रेणी

दुर्घटना का तर्क

1	दुर्घटना की तिथि एवं समय			
2	मंडल			
3	खंड			
4	ब्लॉक खंड			
5	स्टेशन/घाट खंड			
6	गेज (ब्रॉड गेज/मीटर गेज/नैरो गेज)			
7	ट्रेक्शन (विद्युत/विना विद्युत)			
8	मार्ग का प्रकार			
9	कार्य-प्रणाली			
10	स्टेशन श्रेणी संकेत-प्रकार इन्टरलाकिंग-श्रेणी			
11	गाड़ी का विवरण	गाड़ी नं.-	हंजन नं.-	लोड-
12	विस्तृत विवरण			
13	गाड़ी संचालन की स्थिति (सामान्य/असामान्य) (संक्षेप में)			
14	प्रक्रियात्मक त्रुटी यदि कोई हो (संक्षेप में)			
15	दुर्घटना	मृत गम्भीर रूप से घायल संघारण तोट		
16	राहत व्यावस्था	ए.आर.एम.ई./आदेशित ए.आर.टी./आदेशित केन/ आदेशित	प्रस्थान प्रस्थान प्रस्थान	आगमन आगमन आगमन
17	दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अधिकारी			
18	पुनर्स्थापना	रीरेलमेन्ट होने का समय रेलपथ बालू का समय ओ.एच.ई. फिट सिग्नल एवं दूरसंचार फिट		बजे/तिथि बजे/तिथि बजे/तिथि बजे/तिथि
19	प्रभावित लाईन/लाईनों पर से गुजरने वाली पहली गाड़ी			
20	प्रथम दृष्टया कारण			
21	फाटक का विवरण	(परिशिष्ट -ए)		
22	वालक का विवरण	(परिशिष्ट -ए)		
23	राज्य/जिला			
24	अन्य सूचना यदि कोई हो			

फाटक का विवरण (मानव सहित/मानव रहित)			
यातायात/इंजीनियरिंग गेट -	श्रेणी -	गेट नं. -	कि.मी. -
लिफ्टिंग बैरियर	/फ्लैप	/चैन -	
टी. व्ही. यू. -	वर्ष -		
अनंतपार्श्वित	सा	अनंतपार्श्वित-	
टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध	सा/नहीं है		
फाटक की सामान्य स्थिति	यातायात के लिए खुली है -	यातायात के लिए बंद है -	
सड़क संकेत -	गति अवरोधक-	शीटी बोर्ड -	
सड़क का प्रकार -	पक्का -	कच्चा -	
वृष्यता (मीटर में) -			
सेन्सेन्ट यदि है तो -			
पिछले दो वर्ष में दुर्घटना का विवरण -			

लोकों पायलटों का विवरण:-

नाम		
जन्म तिथि		
परिवार के सदस्य		
शैक्षणिक योग्यता		
मुख्यालय		
श्रेणी	वेतनमान -	
स्वास परीक्षण	साइन ऑन के समय-	दुर्घटना के बाद-
सकारात्मक-		
नकारात्मक-	के अनुसार	
निरस्तुति की तिथि		
सहायक लोको पायलट से पदोन्नति तिथि		
माल गाड़ी से पदोन्नति		
यान्त्री गाड़ी से पदोन्नति		
पदोन्नति मेल/एक्सप्रेस में		
विक्रिन्सा परीक्षण की तिथि	पिछला	अगली नियत तिथि
चश्मे या बिना चश्मे के साथ		
पुनश्चर्या कोर्स की तिथि	पिछला	अगली नियत तिथि
संरक्षा सेमीनार	पिछला	अगली नियत तिथि
सक्षमता प्रमाण पत्र	रखलित खंड	
	घाट खंड	
संरक्षा श्रेणी स्तर		
मनोविज्ञानिक परीक्षण		
पुरस्कार/दंड		
नामित लोको निरीक्षक		
साइन ऑन/ऑफ		
कार्यपूर्व विश्राम की अवधि		
खंड का अंतिम ट्रिप		
दुर्घटना प्रकरण में पूर्व में यदि लिप्त हो		
का विवरण		

दुर्घटना की सूचना देने वाले अधिकारी का नाम

* दुर्घटना नियमावली में पृष्ठ 91 एवं 97 परिशिष्ट- I में दुर्घटनाओं का विस्तृत वर्गीकरण श्रेणी 'बी' एवं 'एन' को इस प्रकार पढ़ें

(रेलवे बोर्ड पत्र क्र. 2006/संरक्षा (ए एण्ड आर)/3/6 दिनांक 29.11.2006)
संशोधित विवरण

श्रेणी 'बी'	गाड़ियों में आग
बी-1	यात्री ले जा रही गाड़ी में आग जिसके परिणामस्वरूप (i) जनहानि और/अथवा गम्भीर चोट और/अथवा (ii) रु. 25,00,000/- से अधिक मूल्य की रेल संपत्ति की क्षति और/अथवा (iii) किसी महत्वपूर्ण यू लाइन पर कम से कम 24 घंटे के लिये संचालन में बाधा ।
बी-2	यात्री न ले जा रही गाड़ी में आग के विभिन्न परिणाम हो:- (i) जनहानि और/अथवा गम्भीर चोट और/अथवा (ii) रु. 25,00,000/- से अधिक मूल्य की रेल संपत्ति की क्षति और/अथवा (iii) किसी महत्वपूर्ण यू लाइन पर कम से कम 24 घंटे के लिये संचालन में बाधा ।
बी-3	यात्री ले जा रही गाड़ी, में आग जो उपरोक्त बी-1 के अंतर्गत नहीं आती हो लेकिन (i) रेलवे संपत्ति की क्षति रु. 50,000/- या अधिक और/अथवा (ii) यातायात बाधा देश होल्ड सीमा से अधिक हो और/अथवा (iii) जिसके कारण गाड़ी से कोचिंग दल स्टॉक/स्टॉकों को अलग करना पड़े।
बी-4	यात्री न ले जा रही गाड़ी में आग जो उक्त बी-2 में नहीं आती हो, लेकिन (i) रेलवे संपत्ति की क्षति रु. 50,000/- या अधिक और/अथवा (ii) यातायात बाधा देश होल्ड सीमा से अधिक हो और/अथवा (iii) जिसके कारण गाड़ी से गुड्स दल स्टॉक/स्टॉकों को अलग करना पड़े।
बी-5	यात्री ले जा रही गाड़ी में आग जो उपरोक्त बी-1 अथवा बी-3 श्रेणी में नहीं आती हो।
बी-6	यात्री न ले जा रही गाड़ी में आग जो उपरोक्त बी-2 अथवा बी-4 में नहीं आती ।
बी-7	शॉर्टिंग, माशीलिंग यार्डों, लोको यार्डों तथा साइडिंग आदि में होने वाली आग की घटनाएँ जिनमें बल स्टॉक शामिल हों लेकिन गाड़ी शामिल नहीं हो ।
	टिप्पणी -: रेल परिवारों अथवा गाड़ी में आग दुर्घटना, जिसमें रेल संपत्ति और बुक किये गये परेषणों की क्षति हुई हो, की समिति द्वारा जांच के मागले में रेल सुरक्षा बल का एक प्रतिनिधि भी समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया जाता चाहिये।
श्रेणी 'एन'	गाड़ी को क्षतिग्रस्त करना
एन-1	यात्री ले जा रही गाड़ी को क्षतिग्रस्त अथवा बम विस्फोट या विस्फोट या अपहरण या तोड़फोड़, कर। का प्रयास
एन-2	यात्री न ले जा रही गाड़ी को क्षतिग्रस्त अथवा बम विस्फोट या विस्फोट या अपहरण या तोड़फोड़ करने का प्रयास।
एन-3	रेलपथ (ट्रैक) में बम विस्फोट या विस्फोट या सिग्नलों और रेलपथ में तोड़फोड़ या गाड़ी संचालन से जुड़े कार्यरत कर्मचारी और/या यात्रियों को बलपूर्वक बाधक बनाया किन्तु इसमें कोई गाड़ी शामिल नहीं हो ।

* जिन पुरतकों की प्रतियों में ये विवरण उपलब्ध नहीं है कृपया जोड़कर पढ़ें ।




दुर्घटना नियमावली में पृष्ठ 220 परिशिष्ट- xxvi में पश्चिम मध्य रेलवे के मार्गों के वर्गीकरण में संशोधन किया गया है इसे निम्न प्रकार पढ़ जाय

(रेलवे बोर्ड पत्र क. 2004/सी.ई-11/सी.एस./1 दिनांक 17.05.05)

जबलपुर मंडल-		
क्रमांक	अवभाग (अंड)	मार्ग
1.	इटरसी- इलाहाबाद	बी
2.	बीना- नई कटनी	डी- स्पेशल
3.	नई कटनी- सिंगरोली	ई
4.	सतना- रीवा	ई
कोटा मंडल-		
1.	नागदा- कोटा	ए
2.	कोटा- मयुरा	ए
3.	कोटा- रुठियाई	डी
4.	कोटा- चित्तौडगढ़	डी
भोपाल मंडल		
1.	खंडवा - इटरसी	बी
2.	इटरसी- बीना	ए
3.	बीना- गुना	ई
4.	गुना-रुठियाई	डी
5.	रुठियाई-मक्की	ई
6.	गुना- ग्वालियर	ई

दिनांक: मई 09


(के. एल. पाण्डेय) 17/05/2009
मुख्य परिचालन प्रबंधक

पश्चिम मध्य रेल की दुर्घटना नियमावली की शुद्धि पर्ची सं.- 05

दुर्घटना नियमावली के अध्याय 1 के मद क. 105, पृष्ठ सं. 1 पर दर्शाए गये रु. 25,000,00 की रेल संपत्ति के कुल नुकसान, जो कि गंभीर दुर्घटना को परिभाषित करता है, को संशोधन कर रु. 2 करोड़ कर दिया गया है।

उक्त संशोधन का सुधार दुर्घटना नियमावली में सुनिश्चित करें
[रेलवे बोर्ड पत्र क्रमांक 2000/संरक्षा(ए एण्ड आर)/19/20 दिनांक 28.09.2010]


Correction Slip No.05 to the WCR/Accident Manual.

In para 105 on page no.1 of chapter 1 of Accident Manual, the value of damage to Railway property is revised from Rs 25,00,000 to **Rs. 2 Crores** for defining Serious Accident.

Accident Manual may be corrected accordingly.

[Rly. Board's letter No. 2000/Safety (A&R)/19/20 dated 28-09-2010]

Dated: Jan. 2011


(K. L. Pandey)
COM/WCR/JBP.

Correction Slip No.06 to the WCR/Accident Manual 2007.

- (1) Para 405 (1) on page no 38 under chapter IV is renumbered as 405 (1) (a), and
- (2) A new Para no 405 (1) (b) is to be added under Para 405 (1) (a) and read as under
(b) "Whenever passenger train is involved in accident, on getting first information, ARME should be ordered and moved immediately."

[Rly. Board's letter No. 2003/M(M&P)/7/2/Vol.II. dated 14.07.2011]

पश्चिम मध्य रेल की दुर्घटना नियमावली 2007 की शुद्धि पत्र सं.- 06

- (1) अध्याय IV के अन्तर्गत पृष्ठ सं. 41 पर पैरा 405(1) को पुनः संख्याकित कर पैरा 405 (1) (अ) किया जाये, एवं
- (2) अध्याय IV के अन्तर्गत पृष्ठ सं. 41 पर पैरा 405 (1)(अ) के नीचे पैरा 405(1)(ब) जोड़ा जाये एवं निम्न प्रकार पढ़ा जाये।
(ब) " जब भी किसी यात्री गाड़ी की दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना की प्रथम सूचना मिलने पर ए. आर. एम. ई. को तुरन्त आदेशित एवं खाना किया जाये। "

[Rly. Board's letter No. 2003/M(M&P)/7/2/Vol.II. dated 14.07.2011]

दिनांक: 31 अक्टूबर 2011

के. एल. पाण्डेय
(के. एल. पाण्डेय)
मुख्य परिचालन प्रबंधक

Correction Slip No.07 to the WCR/Accident Manual 2007.

- (1) Chapter VII at page no. 69 in para 706 (7) to be corrected as under:-
- (7) All cases of Indicative Accidents shall be inquired into by a Committee of Senior or Junior Scale Officers with DRM as the accepting authority except all cases of signal passing at danger shall be enquired into by a JA grade Committee of officers at Divisional level with Sr. DSO/DSO as one of the members.


[Rly. Board's letter No. 2005/Safety(A&R)/6/3 dated 20.02.2006]

पश्चिम मध्य रेल की दुर्घटना नियमावली 2007 की शुद्धि पत्र सं.- 07

- (1) अध्याय VII के अन्तर्गत पृष्ठ सं. 73 पर पैरा 706 के (7) को निम्न प्रकार संशोधित करें-
- (7) सभी सांकेतिक दुर्घटनाओं के मामलों में वरिष्ठ या कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों की समिति द्वारा जांच की जायेगी जिसके स्वीकारकर्ता प्राधिकारी मंडल रेल प्रबंधक होंगे सिवाय सिग्नल को खतरे की स्थिति में पार करने के मामलों को छोड़कर जिसकी जांच मंडल के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों की समिति के द्वारा की जाएगी जिसमें वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी/मंडल संरक्षा अधिकारी कोई एक सदस्य होंगे।

[Rly. Board's letter No. 2005/Safety(A&R)/6/3 dated 20.02.2006]

Dated: 13 April 2012


(K. L. Pandey) 13/4/2012
COM/WCR/JBP.

Correction Slip No. 08 to the WCR/Accident Manual edition 2004.

- [1] **Appendix XXIII at page 222 to Accident Manual 2004 is revised and to be read as under:**

1) **Amount of ex-gratia:**

The amount paid as ex-gratia relief payable to the dependants of dead or injured passengers involved in train accidents as defined under section 124 of the Railway Act, 1989 and to the users who meet with an accident due to Railway's prima facie liability at Manned Level Crossing Gate Accident, which is as under:

S. N.	Type of Accident	Amount of ex-gratia		
		Death	Grievous Injury	Simple Injury
1	Train Accident	₹ 50,000/-	₹ 25,000/-	₹ 5,000/-
2	Accident at Manned Level Crossing	₹ 50,000/-	₹ 25,000/-	₹ 5,000/-

2) **Amount of ex-gratia in case of Untoward Incident:**

The amount paid as ex-gratia relief payable to the dependants of dead or injured passengers involved in untoward incidents as defined under section 124-A of the Railway Act, 1989 which is as under:

- (a) In case of death - ₹ 15,000/-
(b) In case of grievous injury - ₹ 5,000/-
(c) In case of simple injury - ₹ 500/-

- 3) No ex-gratia relief is admissible in case of accident at Unmanned Level Crossing.
4) No ex-gratia payment would be admissible to the trespassers, persons electrocuted by OHE and road users at unmanned level crossings.
5) The amount of ex-gratia relief admissible to road users who meet with an accident due to Railway's prima facie liability at Manned Level Crossing Gate Accident will be counted towards the amount of compensation payable, if action is tenable against the Railways under the Law of Torts and an award is actually granted by a Court of Law.
6) Ex-gratia payments should also be made to railway servants killed or injured by a moving train while performing their duty, for example, Gangman working on track run over accidentally by a moving train.
7) Payments should be sanctioned/arranged preferably on the spot by a Senior Scale Officer nominated by the General Manager after making such enquiries as can be reasonably made on the spot after the immediate needs by way of medical attendance etc. to injured persons are attended to.
8) These ex-gratia payments, except in case of road users at manned level crossings, are not to be taken into account at the time of formal claims for compensation.

(Rly Bd's letter No. 2011/TC-III/27/29/Ex-gratia dated 26.07.2012)

- [2] **Para 608 at page no. 59 is revised and to be read as under:**

Para 608 Defective Permanent Way: In the event of any abnormal condition noticed on the track action should be taken as per GR 2.11 and SR 6.07 (1).

[3] Para 609 at page no. 59 is revised and to be read as under:

Para 6.09 Running of defective Locomotive: In case of defective running of locomotives action should be taken as per SR 2.11.1 Also refer **Appendix xxi** for details.

[4] Para 610 at page no. 59 is revised and to be read as under:

Para 6.10 Explosion on track or train: On hearing any explosion on track or train action should be taken as per SR 6.07(2).

[5] **APPENDIX III-A at page no. 116 - 118 is revised and to be read as under:**

Classification, composition and Jurisdiction of Accident Relief Trains, 140 T crane, Tool vans, ARMVs and Self propelled ART cum ARMV on West Central Railway.

[I] **ARMV :** Classification, composition and Jurisdiction of ARMVs on West Central Railway.

[A] **Jabalpur Division:**

S. N.	Station	Scale of ARMV	Location, Composition & Marshalling order	Exit Facility	Jurisdictions (Km)
1.	Jabalpur	I	Location: Old Loco Shed. Composition & Marshalling order 1. RH, Medical Van. 2. RHV, Aux. Van.	Double	JBP - KTE (Km 90.79) JBP - ET (Km 245.15)
2.	New Kanti Jn.	I	Location: Receiving Yard Composition & Marshalling order 1. RH, Medical Van. 2. RHV, Aux. Van.	Double	NKJ - MYR (Km 66.72) NKJ - SGRL (Km 256.85) NKJ - SGO (Km 189.06) JKE - KYCE (Km 23.38)
3.	Satna	I	Location: Satna Station. Composition & Marshalling order 1. RH, Medical Van. 2. RHV, Aux. Van.	Single (ALD End)	STA - MKP (Km 77.45) STA - REWA (Km 48.55) STA - KTE (Km 98.20)

[B] Bhopal Division:

S. N.	Station	Scale of ARMV	Location, Composition & Marshalling order	Exit Facility	Jurisdictions (Km)
1.	Itarsi	I	Location: Itarsi Station. Composition & Marshalling order 1. RH, Medical Van. 2. RHV, Aux. Van	Double	ET - BPL (Km 91.65) ET - KNW (Km 183.45) ET - JHP (Km 2.61) ET - NU (Km 161.12)
2.	Bhopal	I	Location: Bhopal Station. Composition & Marshalling order 1. RH, Medical Van. 2. RHV, Aux. Van	Double	BPL - BIN (Km 138.37) BPL - ET (Km 91.65)
3.	Bina Jn.	I	Location: Bina Station. Composition & Marshalling order 1. RH, Medical Van. 2. RHV, Aux. Van	Double	BIN - SGO (Km 74.50) BIN - AGD (Km 8.02) BIN - GUN (Km 118.38) BIN - BHS (Km 85.1)

[C] Kota Division:

S. N.	Station	Scale of ARMV	Location, Composition & Marshalling order	Exit Facility	Jurisdictions (Km)
1.	Kota	I	Location: Kota Station. Composition & Marshalling order 1. RH, Medical Van. 2. RHV, Aux. Van.	Double	KTT - BSSL (Km 145.56) KTT - SWM (Km 107.76) KTT - NAD (Km 224.98) KTT - RTA (Km 164.26)

2.	Gangapur City	I	Location: Opposite "B" Cabin of GGC. Composition & Marshalling order 1. RH, Medical Van. 2. RHV, Aux. Van.	Double	GGC- SWM (Km 63.61) GGC - MTJ (Km 152.63)
----	---------------	---	---	--------	--

[II] SPART Cum ARMV : Classification, composition and Jurisdiction of SPART Cum ARMV on West Central Railway.

[A] Bhopal Division:

S. N.	Station	Scale of ARMV	Location, Composition & Marshalling order	Exit Facility	Jurisdictions (Km)
1.	GUN	SPART Cum ARMV	Location: Guna Station. Composition & Marshalling order 1. ARTV (DPC). 2. RH, Medical Van. 3. ARTV (DTC)	Single (BIN End)	GUN - BIN (Km 118.38) GUN - MKC (Km 213.99) GUN - GWL (Km 227.48) GUN - SYL (Km 75.19)

[III] ARTs & 140 T crane : Classification, composition and Jurisdiction of ARTs & 140 T crane on West Central Railway.

[A] Jabalpur Division:

S. N.	Station	Class of ART	Lifting capacity of Crane in Tonnes	Location, Composition & Marshalling order	Exit Facility	Jurisdictions (Km)
1.	Jabalpur	B	i	Location: Old Loco Shed. Composition & Marshalling order 1. BRN HS, Engineering rails & crossing. 2. BCN HS, Engineering and OHE materials & ladders. 3. BCN HS, Engineering materials for keeping 500 sleepers. 4. BCN HS Engineering materials. 5. RT, C&W, Electrical & S&T Van. 6. RT, Tool Van. 7. RT, Re-railing equipment Van. 8. RT, Staff & kitchen Van.	Double	JBP - KTE (Km 90.79) JBP - ET (Km 245.15)

2.	New Kanti Jn.	A	140 T	Location: Diesel Loco Shed Composition & Marshalling order 1. 140 T crane with match truck. 2. RT, Crane packing & Material Van. 3. RT, Crane Staff & Kitchen Van. 4. BRN HS, Engineering rails and crossings. 5. BCN HS, Engineering and OHE materials and ladders. 6. BCN HS, Engineering materials for keeping 500 sleepers. 7. BCN HS Engineering materials. 8. RT, C&W, Electrical & S&T Van. 9. RT, Tool Van. 10. RT, Re-railing equipment Van. 11. RT, Staff & kitchen Van.	Double	NKJ - MKP (Km 179.45) NKJ - SGRL (Km 256.85) NKJ - SGO (Km 189.06) STA - REWA (Km 48.55) JKE - KYCE (Km 23.38) Additional beat for 140T Crane NKJ - NU (Km 178.62)
3.	Satna	C	--	Location: Diesel Trip Shed. Composition & Marshalling order 1. BRN HS, Engineering rails and crossings. 2. BCN HS, Engineering and OHE materials and ladders. 3. BCN HS, Engineering materials for keeping 500 sleepers. 4. BCN HS Engineering Materials. 5. RT, C&W, Electrical & S&T Van. 6. RT, Tool Van. 7. RT, Re-railing equipment Van. 8. RT, Staff & kitchen Van.	Single (JBP End)	STA - MKP (Km 77.45) STA - REWA (Km 48.55)

[B] Bhopal Division:

S. N.	Station	Class of ART	Lifting capacity of Crane in Tonnes	Location, Composition & Marshalling order	Exit Facility	Jurisdictions (Km)
1.	Bhopal	B	-	Location: Washing Siding. Composition & Marshalling order 1. BRN HS, Engineering rails and crossings. 2. BCN HS, Engineering and OHE materials and ladders. 3. BCN HS, Engineering materials for keeping 500 sleepers. 4. RT, C&W, Electrical & S&T Van. 5. RT, Tool Van. 6. RT, Re-railing equipment Van. 7. RT, Staff & kitchen Van.	Single (Bina End)	BPL - BIN (Km 138.37) BPL - ET (Km 91.65)

2.	Itarsi	A 140 T	Location: Diesel Loco Shed Composition & Marshalling order 1. 140 T crane with match truck 2. RT, Crane packing & Material Van 3. RT, Staff & Kitchen Van 4. BRN HS, Engineering rails and crossings. 5. BCN HS, Engineering and OHE materials and ladders 6. BCN HS, Engineering materials for keeping 500 sleepers. 7. RT, C&W, Electrical & S&T Van 8. RT, Tool Van. 9. RT, Re-railing equipment Van. 10. RT, Staff & kitchen Van.	Single (BPL End)	ET – BPL (Km 91.65) ET - KNW (Km 183.45) ET – JHP (Km 2.61) Additional beat for 140T Crane ET - NU (Km 161.12)
3.	Bina Jn.	A 140 T	Location: Old Loco Shed. Composition & Marshalling order 1. 140 T crane with match truck. 2. RT, Crane packing & Material Van. 3. RT, Crane Staff & Kitchen Van. 4. BRN HS, Engineering rails and crossings. 5. BCN HS Engineering material. 6. BCN HS, Engineering and OHE materials and ladders. 7. BCN HS, Engineering materials for keeping 500 sleepers. 8. RT, C&W, Electrical & S&T Van. 9. RT, Tool Van. 10. RT, Re-railing equipment Van. 11. RT, Staff & kitchen Van	Single (BPL End)	BIN – SGO (Km 74.50) BIN – AGD (Km 8.02) BIN - GUN (Km 118.38) GUN – MKC (Km 213.99) GUN – GWL (Km 227.48) Additional beat for 140T crane BIN – BPL (Km 138.37)

[C] Kota Division:

S. N.	Station	Class of ART	Lifting capacity of Crane in Tonnes	Location, Composition & Marshalling order	Exit Facility	Jurisdictions (Km)
1.	Kota	A	140 T	Location: Diesel TripShed. Composition & Marshalling order <ol style="list-style-type: none"> 1. 140 T crane with match truck. 2. RT, Crane packing & Material Van. 3. RT, Crane Staff & Kitchen Van. 4. BRN HS, Engineering rails and crossings. 5. BCN HS, Engineering and OHE materials and ladders. 6. BCN HS, Engineering materials for keeping 500 sleepers. 7. RT, C&W, Electrical & S&T Van. 8. RT, Tool Van. 9. RT, Re-railing equipment Van. 10. RT, Staff & kitchen Van. 	Double	KTT - BSSL (Km 145.56) KTT - SWM (Km 107.76) KTT - NAD (Km 224.98) KTT - GUN (Km 184.73) Additional beat for 140T crane SWM - MTJ (Km 216.24)
2.	Gangapur City	B	--	Location: Old C&W Depot. Composition & Marshalling order <ol style="list-style-type: none"> 1. BRN HS, Engineering rails and crossings. 2. BCN HS, Engineering and OHE materials and ladders. 3. BCN HS, Engineering materials for keeping 500 sleepers. 4. RT, C&W, Electrical & S&T Van. 5. RT, Tool Van. 6. RT, Re-railing equipment Van. 7. RT, Staff & kitchen Van. 	Double	GGC- SWM (Km 63.61) GGC - MTJ (Km 152.63)

NOTE: As per CME/WCR letter No. WCR/M/L/05/127-Vol.III dated 18.08.2005, the beat of ART/Kota & ARMV/Kota is extended upto Udaipur via Chittaur. Whenever ART/Kota & ARMV/Kota are sent for POH etc and not available at Kota, it will be advised to all concerned in NWR in advance by mechanical department of Kota division.

- [6] APPENDIX – VI “List of ARMV Scale I & II and SPART Cum ARMV” available on West Central Railway is revised and to be read as under:

(a) List of ARMV Scale – I equipment:

S.N.	Division	Station
1.	Jabalpur	i) Jabalpur ii) New Katni Jn. iii) Satna
2.	Bhopal	i) Bhopal ii) Bina iii) Itarsi
3.	Kota	i) Kota ii) Gangapur City

(b) List of ARME Scale - II equipment:

S.N.	Division	Station
1.	Jabalpur	i) Pipariya ii) Narsinghpur iii) Damoh iv) Saugor v) Beohari
2.	Bhopal	i) Harda ii) Shajapur
3.	Kota	i) Shamgarh ii) Jhalawar Road iii) Sawai Madhopur iv) Bayana


(c) List of SPART Cum ARMV:

S.N.	Division	Station
1.	Bhopal	i) Guna

- [7] Para 325 item no (7) at page no. 31 is revised and to be read as under:

(7) advise latest position/progress of restoration to Disaster Management Cell at HQ on telefax No. (Railway) 015-52310/(BSNL) 0761-2629384/ CSO's Mobile No. 9752415650.

Date: April - 2013


(K. L. Pandey) 21/04/2013
Chief Operation Manager
West Central Railway
Jabalpur

पश्चिम मध्य रेल की दुर्घटना नियमावली संस्करण 2007 की शुद्धि पत्र सं.- 08

- (1) दुर्घटना नियमावली 2007 के पृष्ठ सं. 217 के अध्याय XXIII को संशोधित किया जाता है इसे निम्नवत पढ़ा जाए-

1. अनुगृह राशि

जैसा कि रेल अधिनियम, 1989 के धारा 124 में परिभाषित है। रेल दुर्घटना में घायल यात्रियों या मृत यात्रियों के आश्रितों तथा उन उपयोगकर्ता को जो प्रथम दृष्टया में रेलवे के जिम्मेदारी के कारण मानव समपार फाटक पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, को देय अनुगृह राशि निम्नानुसार है-

क्र.सं.	दुर्घटना के प्रकार	अनुगृह राशि		
		मृत्यु	गंभीर रूप से घायल	सधारण रूप से घायल
1.	गाड़ी दुर्घटना	₹ 50,000/-	₹ 25,000/-	₹ 5,000/-
2.	कर्मचारी सहित समपार फाटक पर दुर्घटना	₹ 50,000/-	₹ 25,000/-	₹ 5,000/-

2. अनापेक्षित घटना की स्थिति में अनुगृह राशि-

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124 (अ) के तहत परिभाषित अनापेक्षित घटना में घायल यात्रियों या मृतक के आश्रितों को देय अनुगृह राशि निम्नानुसार है-

- (क) मृत्यु की स्थिति में - ₹ 15,000/-
 (ख) गंभीर चोट की स्थिति में- ₹ 5,000/-
 (ग) साधारण चोट की स्थिति में- ₹ 500/-

3. कर्मचारी रहित समपार फाटक पर दुर्घटना की स्थिति में कोई अनुगृह राशि देय नहीं होगी।
 4. कर्मचारी रहित समपार फाटक पर अनाधिकृत प्रवेशकर्ता, ऊपरी उपस्कर से विद्युत संपर्क में आने वाले व्यक्ति तथा कर्मचारी रहित फाटक पर सड़क उपयोगकर्ता को, दुर्घटना की स्थिति में कोई अनुगृह राशि देय नहीं होगी।
 5. किसी सड़क उपयोगकर्ता को जो किसी समपार फाटक, जिस पर कर्मचारी तैनात हैं एवं प्रथम दृष्टया रेलवे की गलती के कारण दुर्घटना ग्रस्त हो गया हो, उसे देय क्षतिपूर्ति राशि की गणना उसके आय के अनुसार की जाएगी यदि क्षतिपूर्ति नियम के अधीन रेलवे के विरुद्ध नियम संगत कोई कार्यवाई की गई है तथा कोर्ट द्वारा कोई वास्तविक निर्णय दिया गया हो तो उसके अनुसार अनुगृह राशि देय होगी।
 6. यदि कार्य निष्पादन के दौरान कोई रेल सेवक चलती गाड़ी से मर जाए या घायल हो जाए, उदाहरण के लिए ट्रैक, पर कार्यरत गैंगमैन की मृत्यु चलती गाड़ी द्वारा दुर्घटनावश कुचले जाने से हो जाए तो उसे अनुगृह राशि देय होगी।

7. दुर्घटना स्थल पर घायल व्यक्ति को तत्काल आवश्यक चिकित्सा सहायता इत्यादि दिए जाने के उपरान्त एवं यथोचित जांच के बाद महाप्रबंधक द्वारा नामित वरि. वेतनमान के अधिकारी द्वारा भुगतान की स्वीकृति/भुगतान देने की व्यवस्था घटनास्थल पर प्राथमिकता के आधार पर की जाए।
8. उक्त अनुगृह राशि का भुगतान, कर्मचारी सहित समपार फाटक पर दुर्घटनाग्रस्त सड़क उपयोगकर्ता के मामले को छोड़कर, क्षतिपूर्ति हेतु औपचारिक दावे की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

(Rly Bd's letter No. 2011/TC-III/27/29/Ex-gratia dated 26.07.2012)

- (2) पैरा 608 पृष्ठ सं. 62 पर, को संशोधित किया गया है तथा इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए-
दोषपूर्ण रेलपथ- ट्रेक पर किसी असमान्य स्थिति का पता चलने की स्थिति में समान्य नियम 2.11 तथा सहा. नियम 6.07(1) के अनुसार कार्यवाही की जाए।
- (3) पैरा 609 पृष्ठ सं. 62 को संशोधित किया गया है इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए-
त्रुटिपूर्ण लोकोमोटिव का परिचालन:-
त्रुटीपूर्ण लोकोमोटिव के परिचालन की स्थिति में सहा.नियम 2.11.1 के अनुसार कार्यवाही की जाए। विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट XXI को देखें।
- (4) पैरा 610 पृष्ठ सं. 62 को संशोधित किया गया है तथा इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए-
गाड़ी अथवा ट्रेक पर विस्फोट:-
ट्रेक अथवा गाड़ी पर विस्फोट की आवाज सुनने पर सहा. नियम 6.07(2) के अनुसार कार्यवाही की जाए।
- (5) परिशिष्ट III A पृष्ठ सं. 118-120 को संशोधित किया गया है इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए-
पश्चिम मध्य रेलवे पर दुर्घटना राहत गाड़ी 140 टी केन, टूल वेन, ए.आर.एम.वी. तथा स्वचलित ए.आर.टी और ए.आर.एम.वी. का वर्गीकरण, संयोजन तथा अधिकार क्षेत्र।
- [i] ए.आर.एम.वी.- पश्चिम मध्य रेल पर ए.आर.एम.वी. का वर्गीकरण, संयोजन व अधिकार क्षेत्र।
- [क] जबलपुर मंडल:

क. सं.	स्थान	एआरएमवी का स्केल	स्थिति संयोजन तथा विन्यास आदेश	निकास सुविधा	अधिकार क्षेत्र
1.	जबलपुर	I	स्थल : पुराना लोको शेड संयोजन तथा विन्यास आदेश 1. आरएच, चिकित्सा यान 2. आरएचवी, सहायक यान	दोहरी	जबलपुर-कटनी (किमी. 90.79) जबलपुर-इटारसी (किमी. 245.15)

2.	नई कटनी जं.	I	स्थल : रिसीविंग यार्ड संयोजन तथा विन्यास आदेश 1. आरएच, चिकित्सा यान 2. आरएचवी, सहायक यान	दोहरी	नकज-मैहर (किमी. 66.72) नकज-सिगरौली (किमी. 256.85) नकज-सागर (किमी. 189.06) झुकेही-कैमोर (किमी. 23.38)
3.	सतना	I	स्थल : सतना स्टेशन संयोजन तथा विन्यास आदेश 1. आरएच, चिकित्सा यान 2. आरएचवी, सहायक यान	इकहरी (इलाहाबाद छोर)	सतना-मानिकपुर (किमी. 77.45) सतना-रीवा (किमी. 48.55) सतना-कटनी (किमी. 98.20)

ख] भोपाल मंडल:

क. सं.	स्टेशन	एआरएमवी का स्केल	स्थिति संयोजन तथा विन्यास आदेश	निकास सुविधा	अधिकार क्षेत्र
1.	इटारसी	I	स्थल : इटारसी स्टेशन संयोजन तथा विन्यास आदेश 1. आरएच, चिकित्सा यान 2. आरएचवी, सहायक यान	दोहरी	इटारसी-भोपाल (किमी. 91.65) इटारसी-खण्डवा (किमी. 183.45) इटारसी-जुझारपुर (किमी. 2.61) इटारसी-नरसिंहपुर (किमी. 161.12)
2.	भोपाल	I	स्थल : भोपाल स्टेशन संयोजन तथा विन्यास आदेश 1. आरएच, चिकित्सा यान 2. आरएचवी, सहायक यान	दोहरी	भोपाल-बीना (किमी. 138.37) भोपाल-इटारसी (किमी. 91.65)

3.	बीना उं.	I	स्थल : बीना स्टेशन संयोजन तथा विन्यास आदेश 1. आरएच, चिकित्सा यान 2. आरएचवी, सहायक यान	दोहरी	बीना-सागर (किमी.74.50) बीना-आगासोद (किमी.8.02) बीना-गुना (किमी.118.38) बीना-झॉसी (किमी.85.1)
----	-------------	---	--	-------	---

[ग] कोटा मंडल:

क. सं.	स्टेशन	एआरएमवी का स्केल	स्थिति संयोजन तथा विन्यास आदेश	निकास सुविधा	अधिकार क्षेत्र
1.	कोटा	I	स्थल : कोटा स्टेशन संयोजन तथा विन्यास आदेश 1. आरएच, चिकित्सा यान 2. आरएचवी, सहायक यान	दोहरी	कोटा-बस्सी बेरीसाल (किमी. 145.56) कोटा-सवाईमाधोपुर (किमी.107.76) कोटा-नागदा (किमी. 224.98) कोटा-रूठियाई (किमी.164.26)
2.	गंगापुर सिटी	I	स्थल : गंगापुर सिटी बी केबिन के सामने संयोजन तथा विन्यास आदेश 1. आरएच, चिकित्सा यान 2. आरएचवी, सहायक यान	दोहरी	गंगापुर सिटी- सवाईमाधोपुर (किमी. 63.61) गंगापुर सिटी-मथुरा (किमी. 152.63)

[ii] स्पार्ट कम ए.आर.एम.वी.: पश्चिम मध्य रेल पर स्पार्ट कम ए.आर.एम.वी. का वर्गीकरण, संयोजन व अधिकार क्षेत्र।

[क] भोपाल मंडल:

क. सं.	स्टेशन	एआरएमवी की स्केल	स्थिति संयोजन तथा विन्यास आदेश	निकास सुविधा	अधिकार क्षेत्र

1.	गुना	स्पार्ट कम एआरएमवी	स्थल : गुना स्टेशन संयोजन तथा विन्यास आदेश 1. एआरटीवी (डीपीसी), 2. आरएच, चिकित्सा यान 3. एआरटीवी (डीटीसी)	इकहरी बीना छोर	गुना-बीना (किमी. 118.38) गुना-मक्सी (किमी. 213.99) गुना-ग्वालियर (किमी. 227.48) गुना-सालपुरा (किमी. 75.19)
----	------	--------------------	---	----------------	---

[[iii]] एआरटी और 140 टन केन: पश्चिम मध्य रेल पर ए.आर.टी और 140 टन केन का वर्गीकरण, संयोजन व अधिकार क्षेत्र।

[क] जबलपुर मंडल:

क. सं.	स्टेशन	एआरटी की श्रेणी	केन की भार उठाने की क्षमता	स्थिति संयोजन तथा विन्यास आदेश	निकास सुविधा	अधिकार क्षेत्र
1.	जबलपुर	ब	--	स्थल : पुराना लोको शेड संयोजन तथा विन्यास आदेश 1. बीआरएन एचएस. इंजी. रेल और कासिंग 2. बीसीएन एचएस. इंजी. और ओएचई. मटेरियल और लेडर 3. बीसीएन एचएस इंजी. मटेरियल 500 स्टीपर के लिए 4. बीसीएन एचएस. इंजी. मटेरियल 5. आरटी. के.वैगन विद्युत और सि.एवं दू. सं. यान 6. आरटी दूल यान 7. आरटी री-रेलिंग उपकरण यान 8. आरटी स्टाफ और किचिन यान	दोहरी	जबलपुर-कटनी (किमी. 90.79) जबलपुर-इटारसी (किमी. 245.15)

2.	नई कठ्नी जं.	ए	140 टन	<p>स्थल : डीजल लोको शेड संयोजन तथा विन्यास आदेश</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 140 टन केन मेच ट्रेक 2. आरटी केन मेच ट्रेक 3. आरटी केन स्टाफ और किचिन यान 4. बीआरएन एचएस इंजी. रेल और कसिंग 5. बीसीएन एचएस. इंजी. और ओएचई मटेरियल और लेडर 6. बीसीएन एचएस इंजी. मटेरियल 500 स्टीपर के लिए 7. बीसीएन एचएस. इंजी. मटेरियल 8. आरटी. के.वैगन विद्युत और सि.एवं दू. सं. यान 9. आरटी दूल यान 10. आरटी री-रेलिंग उपकरण यान 11. आरटी स्टाफ और किचिन यान 	वाहरी	<p>नकज-मानिकपुर (किमी. 179.45)</p> <p>नकज-सिगरौली (किमी. 256.85)</p> <p>नकज-सागर (किमी. 189.06)</p> <p>सतना-रीवा (किमी. 48.55)</p> <p>झुकेही-कैमोर (किमी. 23.38)</p> <p>अतिरिक्त बीट 140 टन केन नकज-नरसिंगपुर (किमी. 178.62)</p>
3.	सतना	सी	--	<p>स्थल : डीजल ट्रिप शेड संयोजन तथा विन्यास आदेश</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बीआरएन एचएस इंजी. रेल और कसिंग 2. बीसीएन एचएस. इंजी. और ओएचई मटेरियल और लेडर 3. बीसीएन एचएस इंजी. मटेरियल 500 स्टीपर के लिए 4. बीसीएन एचएस. इंजी. मटेरियल 5. आरटी. के.वैगन विद्युत और सि.एवं दू. सं. यान 6. आरटी दूल यान 7. आरटी री-रेलिंग उपकरण यान 8. आरटी स्टाफ और किचिन यान 	इकहरी (जबलपुर छोर)	<p>सतना-मानिकपुर (किमी. 77.45)</p> <p>सतना-रीवा (किमी. 48.55)</p>

(ख) भोपाल मंडल:

क. सं.	स्टेशन	एआरटी की ब्रेगी	केन की भार उठाने की क्षमता	स्थिति संयोजन तथा विन्यास आदेश	निकास सुविधा	अधिकार क्षेत्र
1.	भोपाल	बी	--	<p>स्थल: वाशिंग साइडिंग संयोजन तथा विन्यास आदेश</p> <ol style="list-style-type: none"> बीआरएन एचएस इंजी. रेल और कसिंग बीसीएन एचएस. इंजी. और ओएचई मटेरियल और लेडर बीसीएन एचएस इंजी. मटेरियल 500 स्टीपर के लिए आरटी.के.वैगनविद्युत औरसि.एवंदू.सं. यान आरटी दूल यान आरटी री-रेलिंग उपकरण यान आरटी स्टाफ और किचिन यान 	इकहरी (बीना छोर)	<p>भोपाल-बीना (किमी. 138.37)</p> <p>भोपाल-इटारसी (किमी. 91.65)</p>
2.	इटारसी	ए	140 टन	<p>स्थल : डीजल लोको शेड संयोजन तथा विन्यास आदेश</p> <ol style="list-style-type: none"> 140 टन केन मेच ट्रेक आरटी केन पैकिंग और मटेरियल यान आरटी केन स्टाफ और किचिन यान बीआरएन एचएस इंजी. रेल और कसिंग बीसीएन एचएस. इंजी. और ओएचई मटेरियल और लेडर बीसीएन एचएस इंजी. मटेरियल 500 स्टीपर के लिए आरटी. के.वैगन विद्युत और सि.एवं दू. सं. यान आरटी दूल यान आरटी री-रेलिंग उपकरण यान आरटी स्टाफ और किचिन यान 	इकहरी (भोपाल छोर)	<p>इटारसी-भोपाल (किमी. 91.65)</p> <p>इटारसी-खण्डवा (किमी. 183.45)</p> <p>इटारसी-जुझारपुर (किमी. 2.61)</p> <p>अतिरिक्त बीट 140 टन केन इटारसी-नरसिंगपुर (किमी. 161.12)</p>

3.	बीना जं.	ए	140 टन	<p>स्थल : पुराना लोको शेड संयोजन तथा विन्यास आदेश</p> <ol style="list-style-type: none"> 140 टन केन मेच ट्रेक आरटी केन पैकिंग और मटेरियल यान आरटी केन स्टाफ और किचिन यान बीआरएन एचएस इंजी. रेल और कसिंग बीसीएन एचएस. इंजी. मटेरियल बीसीएन एचएस. इंजी. और ओएचई मटेरियल और लेडर बीसीएन एचएस इंजी. मटेरियल 500 स्टीपर के लिए आरटी.के.वैगन विद्युतऔर सि.एवंदू.सं. यान आरटी टूल यान आरटी सी-रेलिंग उपकरण यान आरटी स्टाफ और किचिन यान 	इकहरी (भोपाल छोर)	<p>बीना-सागर (किमी. 74.50)</p> <p>बीना-आगासोद (किमी. 8.02)</p> <p>बीना-गुना (किमी. 118.38)</p> <p>गुना-मक्सी (किमी. 213.99)</p> <p>गुना-ग्वालियर (किमी. 227.48)</p> <p>अतिरिक्त बीट 140 टन केन बीना-भोपाल (किमी. 138.37)</p>
----	----------	---	--------	--	-------------------	--

(ग) कोटा मंडल:

क. सं.	स्थान	एआरटी की श्रेणी	केन की भार उठाने की क्षमता	स्थिति संयोजन तथा विन्यास आदेश	निकास सुविधा	अधिकार क्षेत्र
1.	कोटा	ए	140 टन	<p>स्थल : डीजन ट्रिप शेड संयोजन तथा विन्यास आदेश</p> <ol style="list-style-type: none"> 140 टन केन मेच ट्रेक आरटी केन पैकिंग और मटेरियल यान आरटी केन स्टाफ और किचिन यान बीआरएन एचएस इंजी. रेल और कसिंग बीसीएन एचएस. इंजी. और ओएचई मटेरियल और लेडर बीसीएन एचएस इंजी. मटेरियल 500 स्टीपर के लिए 	दोहरी	<p>कोटा-बस्सी बेरीसाल (किमी. 145.56)</p> <p>कोटा-सवाईमाधोपुर (किमी. 107.76)</p> <p>कोटा-नागदा (किमी. 224.98)</p> <p>कोटा-गुना (किमी. 184.73)</p> <p>अतिरिक्त बीट 140 टन केन सवाईमाधोपुर-मथुरा (किमी. 216.24)</p>

				7. आरटी. के.वैगन विद्युतऔर सि.एवंदू.सं. यान 8. आरटी टूल यान 9. आरटी री-रेलिंग उपकरण यान 10. आरटी स्टाफ और किचिन यान	
2.	गंगापुर सिटी	बी	--	स्थल : पुराना कैरिज वैगन डिपो संयोजन तथा विन्यास आदेश 1. बीआरएन एचएस इंजी. रेल और कसिंग 2. बीसीएन एचएस. इंजी. और ओएचई मटेरियल और लेडर 3. बीसीएन एचएस इंजी. मटेरियल 500 स्टीपर के लिए 4. आरटी.के.वैगन विद्युत औरसि.एवंदू.सं. यान 5. आरटी टूल यान 6. आरटी री-रेलिंग उपकरण यान 7. आरटी केन स्टाफ और किचिन यान	गंगापुर सिटी- सवाईमाधोपुर (किमी. 63.61) गंगापुर सिटी-मथुरा (किमी. 152.63)

नोट: मु.यां.इंजी. के पत्र क्र. WCR/M/L/05/127-Vol.III dated 18.08.2005, के अनुसार दुर्घटना सहायता गाडी/कोटा और दुर्घटना चिकित्सा सहायता गाडी कोटा का कार्यक्षेत्र चित्तौड़ होते हुए उदयपुर तक बढ़ाया गया है। जब कभी भी ए.आर.टी और ए.आर.एम.वी. कोटा को सावधिक परिक्षण इत्यादि हेतु भेजा जाय एवं कोटा में न उपलब्ध हो तो यांत्रिक विभाग कोटा मंडल द्वारा सर्वसंबन्धित को सूचित किया जायेगा।

(6) पृष्ठ सं. 128 के परिशिष्ट VI में एआरएमवी स्केल I & II और स्पार्ट कम एआरएमवी सूची को इस प्रकार संशोधित किया गया है इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए-

(क) एआरएमवी स्केल - I उपकरणों की सूची:

क्र.सं.	मंडल	स्टेशन
1.	जबलपुर	i) जबलपुर ii) नई कटनी जं. iii) सतना
2.	भोपाल	i) भोपाल ii) बीना iii) इटारसी
3.	कोटा	i) कोटा ii) गंगापुर सिटी

(ख) एआरएमई स्केल - II उपकरणों की सूची:

क.सं.	मंडल	स्टेशन
1.	जबलपुर	i) पिपरिया ii) नरसिंहपुर iii) दमोह iv) सागर v) ब्यौहारी
2.	भोपाल	i) हरदा ii) शाजापुर
3.	कोटा	i) श्यामगढ़ ii) झालावाड़ रोड iii) सवाईमाधोपुर iv) बयाना


(ग) स्पार्ट कम एआरएमवी की सूची:

क.सं.	मंडल	स्टेशन
1.	भोपाल	i) गुना

(7). पैरा 325 पृष्ठ सं. 31 को संशोधित किया गया है तथा इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए-

(7) दुर्घटना से संबन्धित नवीनतम स्थिति एवं यातायात को पुनः चालू करने के संबंध में की जा रही कार्यवाही की प्रगति की जानकारी मुख्यालय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के टेलीफैक्स नम्बर (रिलवे) 015-52310 दूरसंचार 0761-2629384 या मुख्य संरक्षा अधिकारी पमरे के मोबाइल नम्बर 9752415650 पर दें।

दिनांक /09/2013


(अमुराग) 10.9.13


मुख्य परिचालन प्रबंधक
पमरे/जबलपुर

Correction Slip No.09 to the WCR/Accident Manual 2004.

Chapter VII At page no. 66 a new para 702 (3) to be added:-

para no 702 (3) The mobile call records at the time of accident, of the Loco Pilot and Assistant Loco Pilot should invariably be checked and print out of such call records shall be kept in record.

Dated: 23.10.2015



(Ajit Kumar Jain)
Chief Operations Manager
West Central Railway

पश्चिम मध्य रेल की दुर्घटना नियमावली 2007 की शुद्धि पत्र सं.- 09

अध्याय VII के अन्तर्गत पृष्ठ सं. 71 पर नया पैरा 702 (3) जोड़ा गया है-

पैरा 702 (3) किसी भी दुर्घटना की स्थिति में लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के मोबाइल फोन की दुर्घटना के समय की काल डिटेल की अनिवार्य रूप से जाँच की जायेगी एवं काल रिकार्ड की प्रति सम्बन्धित रिकार्ड में रखी जायेगी।

दिनांक 23 .10.2015


(अजित कुमार जैन)
मुख्य परिचालन प्रबंधक
पश्चिम मध्य रेल

Correction Slip No.10 to the WCR/Accident Manual 2004.

- [1] Chapter VII At page no. 69 para 706 (2) and page no. 70 para 706 (11) is revised and to be read as under:-

para no 706 (2) In case CRS or CCRS in not in a position to inquire into serious accident cases involving a coaching train, notified to him under Section 113 of Railway Act, the inquiry shall be carried out by a committee of SA Grade officers and CSO of the railway shall be the convener of such committee. The Accident Inquiry Report of the committee shall be accepted by the General Manager of the Zonal Railway.

para no 706 (11) All inquiries will be ordered by the concerned DRM except for inquiries falling under item (2) and (3) above wherein the General Manager will order the inquiries.

(Rly Bd's letter No. 2005/safety(A&R)/6/4 Pt. dated 27.07.2017)

Date: 23.08.2017


(Manoj Sethi)
COM/WCR

पश्चिम मध्य रेल की दुर्घटना नियमावली 2007 की शुद्धि पत्र सं.- 10


- [1] दुर्घटना नियमावली में पृष्ठ 72 के पैरा 706 (2) एवं पृष्ठ 73 के पैरा 706(11) में संशोधन किया गया है इसे निम्न प्रकार पढ़ जाय:-

पैरा 706 (2) यदि रेल संरक्षा आयुक्त या मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त के लिए रेलवे अधिनियम की धारा 113 के अंतर्गत अधिसूचित किसी कोचिंग गाड़ी में हुई गंभीर गाड़ी दुर्घटना के मामलों में जांच करने की स्थिति में नहीं हों तो यह जांच वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों की समिति द्वारा की जाएगी और रेलवे के सीएसओ ऐसी समिति के संयोजक होंगे। समिति की दुर्घटना जांच रिपोर्ट, क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा स्वीकार की जाएगी।

पैरा 706 (11) ऊपर उल्लेखित मद (2) तथा (3) के अंतर्गत आने वाली जांचों, जिनमें महाप्रबंधक द्वारा जांच के आदेश दिए जाएंगे, को छोड़कर, अन्य मामलों में सभी जांचों के आदेश संबंधित मंडल रेल प्रबंधक द्वारा दिए जाएंगे।

(रेलवे बोर्ड पत्र क्रमांक 2005/संरक्षा(एएण्डआर)/26/4 पार्ट दिनांक 31.07.2017)

दिनांक 23.08.2017


(मनोज सेठ)
मुख्य परिचालन प्रबंधक


Correction Slip No. 11 to the WCR/Accident Manual 2004.

[1] Chapter IV at page no. 38 para 405(1)(a) is revised and to be read as under:-

405 - Ordering of relief arrangements:-

- (a) (i) On receipt of advice of an accident, the CHC/Dy. CHC (Punctuality) and on an uncontrolled section, the SM of the Terminal station, shall order the Medical Van and/or Breakdown train/Tower wagons as necessary. If necessary, assistance from adjoining divisions/railways shall also be asked for through COIS mail by CHC/Dy. CHC (Punctuality).
- (ii) Sr. DME (nominated by DRM), in consultation with Sr. DOM, shall decide whether only MFD (tool van) is required to be sent to the accident site or the entire ART to be sent. In case of a difference of opinion between Sr. DME and Sr. DOM on this issue, DRM's decision shall be final. CHC/Dy. CHC (Punctuality) shall be advised accordingly.
- (iii) With a view to ensure faster movement of MFD (tool van) to the accident site, Sr. DME shall decide the mode of transport, i.e by road or by rail.
- (iv) CHC/Dy. CHC (Punctuality) shall plan immediate arrangement of Loco and crew in consultation with Crew/Power controller for the movement of ARME/ART trains.

Date: 27.11.2017


(Manoj Seth)

PCOM/WCR

27/11/17

पश्चिम मध्य रेल की दुर्घटना नियमावली 2007 की शुद्धि पत्र सं.- 11

[1] अध्याय -IV के पृष्ठ 41 में पैरा 405(1)(अ) को संशोधन किया गया है इसे निम्न प्रकार पढ़ा जाय:-

405-राहत व्यवस्थाओं की व्यवस्था करना:-

- (अ)(i) दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर मुख्य नियंत्रक/उप मुख्य नियंत्रक(समयपालन) और अनियंत्रित खंड पर खंड के अंतिम स्टेशन का स्टेशन मास्टर, चिकित्सा वाहन और/या ब्रेक डाऊन ट्रेन/लॉवर वैगनों जो आवश्यक हो को बुलाने हेतु आदेश देगा। यदि आवश्यक हो तो समीपस्थ मंडलों/रेलवे से भी मुख्य नियंत्रक/उप मुख्य नियंत्रक (समयपालन) COIS मेल के माध्यम से सहायता मांगेगा।
- (ii) वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता द्वारा (मंडल रेल प्रबंधक द्वारा नामित), वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक के परामर्श से यह निर्णय लिया जाएगा कि दुर्घटना स्थल पर केवल एमएफडी (टूल वान) भेजने की आवश्यकता है या पूरी एआरटी भेजना है। इस मामले में वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता और वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक की राय में भिन्नता होने पर मंडल रेल प्रबंधक का निर्णय अंतिम होगा। तदनुसार मुख्य नियंत्रक/उप मुख्य नियंत्रक (समयपालन) को सूचित किया जायेगा।
- (iii) दुर्घटना स्थान पर एमएफडी (टूल वान) को शीघ्र पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता द्वारा परिवहन के प्रकार, जैसे सड़क मार्ग या रेलमार्ग द्वारा भेजे जाने का निर्णय लिया जाएगा।
- (iv) ए.आर.एम.ई/ए.आर.टी ट्रेनों के तुरन्त संचालन के लिए मुख्य नियंत्रक/उप मुख्य नियंत्रक (समयपालन) लोको और कू की व्यवस्था, कू/पावर कंट्रोलर के परामर्श से तत्काल प्लान करेंगे।

दिनांक 20.12.2017

(मनोज सेठ)

प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक

Amendment Slip No. 12 to the WCR/Accident Manual 2004.

APPENDIX –II A at page no. 93 rule 1 is revised and at page no. 96 a new Para “9A (1) and (2) to be added after rule 9 to be read as under:

G.S.R. 577(E).- In exercise of the powers conferred by section 122 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway (Notices of and Inquiries into Accidents) Rules, 1989, namely:-

[1] 1. Short title and Commencement:-

- (1) These rules may be called the Railway (Notices of and Inquiries into Accidents) Amendment Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

[2] In the Railway (Notices of and Inquiries into Accidents) Rules, 1998, after rule 9, the following rule shall be inserted, namely:-

“9A (1) The reports containing the names and addresses of the injured victims or persons deceased shall be dispatched to the Principal Bench of the Railway Claims Tribunal. Wherever the names of next of kin of the deceased passengers are known, the said information shall also be furnished to the Principal Bench of the Railway Claims Tribunals.

- (2) Legal Aid to Claimants or victims of accidents:- It shall be the duty of the Railway Administration to forward the names of the injured victims or the persons who died in a railway accident to the Principal Bench of the Railway Claims Tribunal for rendering appropriate legal aid for obtaining compensation in the manner provided under the Railway Claims Tribunal Act and to that end, wherever information is available, the names of the next of kin shall also be furnished to the Principal Bench of the Railway Claims Tribunal.”

[Ref: i) Rly. Bd's letter No. 2018/Safety (A&R)/19/29 dated 13-09-2019]
ii) Gazette of India GSR 577(E) S.No. 467 dated 19 August, 2019]

Date: 17.01.2020


(Manoj Seth)
PEOM/WCR
11/1/2020

पश्चिम मध्य रेल की दुर्घटना नियमावली 2007 की संशोधित पर्ची सं.-12

परिशिष्ट-II क के अन्तर्गत पृष्ठ सं. 99 पर नियम 1 जिसे संशोधित किया जाता है और पृष्ठ सं 101 पर नियम 9 के बाद नया पैरा “ 9 क (1) एवं (2) जोड़ा गया है निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

सा.का.नि. 577 (अ)- केन्द्र सरकार रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 122 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेलवे (दुर्घटनाओं की सूचना एवं जांच) नियम, 1998 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

[1] 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ –


- (1) इन नियमों को रेलवे (दुर्घटनाओं की सूचना एवं जांच) संशोधन नियम, 2019 कहा जाएगा।
- (2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[2] रेलवे (दुर्घटनाओं की सूचना एवं जांच) नियम, 1998 के नियम 9 के बाद निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्-

- “9क (1) आहत व्यक्तियों अथवा मृत व्यक्तियों के नाम एवं पते की रिपोर्ट रेल दावा अधिकरण की मुख्य पीठ को भेजी जाएगी। जहां भी मृत यात्री के निकटतम संबंधी का नाम ज्ञात हो, उक्त सूचना भी रेल दावा अधिकरण की मुख्य पीठ को जाएगी।
- (2) दुर्घटनाओं के पीड़ितों अथवा दावेदारों को कानूनी सहायता:- रेल प्रशासन का यह कर्तव्य है कि वह रेल दुर्घटना में घायल अथवा मृत व्यक्तियों के नाम रेल दावा अधिकरण की मुख्य पीठ को भेजे ताकि उनकी रेल दावा अधिकरण अधिनियम के अंतर्गत दिए गए तरीके से मुआवजा प्राप्त करने में उनकी उचित कानूनी सहायता की जा सके, और जहां सूचना उपलब्ध हो, निकटतम संबंधी के नाम भी रेल दावा अधिकरण की प्रधान पीठ को भेजे जाए।”

(संदर्भ: i) रेलवे बोर्ड पत्र क्र. 2018/सका(ए एच आर)/19/29 दिनांक 13.09.2019)
ii) भारत का राजपत्र सा.का.नि. 577(अ), क्र.सं. 467 दिनांक 19 अगस्त, 2019)

दिनांक 17.01.2020


(Manoj Seth)
प्रमुख मुख्य परिचातन प्रबंधक